तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.03.23	पत्रावली आज पेश हुई। बार एसोसियेशन द्वारा रेफरेंस रखा गया है। अतः मुल्तवी होकर पत्रावली आइंदा 27.4.2023 को पेश हो। Priyamil	
21.04.23	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सुनवाई की अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत मुख्यालय काठाडी पर आयोजित कैम्प दिनांक 17.05.23 में रखी गई है। अतः उक्त पक्ष निर्धारित तिथि से अपनी उपस्थिति कैम्प स्थल पर सुनिश्चित करे। पत्रावली दिनांक 17.05.23 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित कैम्प मे पेश हों। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	
17.05.2023	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 10 उपस्थित। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि मौजा काठाडी तहसील सिवाना अवस्थित भूमि खसरा संख्या 130, 132 व 139 रकबा क्रमशः 1.1331, 0.4046 व 16.8835 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार हैं। जिसमें उनके हकपूर्वाधिकारियों का 1/8 हिस्सा था । किंतु हल्का पटवारी ने नवीन जमाबंदी बनाने के दौरान हिस्से गलत दर्ज कर दिये, जिससे मौके पर सहखातेदारान के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई। प्रार्थीगण की माता बगुड़ी फौत होने से उनका हिस्सा प्रार्थीगण में निहित हुआ। प्रार्थीगण अपने हिस्सानुसार विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहें है। अतः मृत बगुड़ी की प्रविष्टी रिकॉर्ड से निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दरसाये अनुसार पक्षकारान के हिस्से दुरूस्त किये जावे। हमने प्रार्थीगण की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्से अशुद्ध है। जहां तक विवादित भूमि के बैंक रहन का प्रश्न है प्रार्थी द्वारा अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं। ऐसी सूरत में पक्षकारान के वास्तविक हिस्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड के इन्द्राज दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम काठाडी तहसील सिवाना अवस्थित भूमि खसरा संख्या 130, 132 व 139 रकबा क्रमशः 1.1331, 0.4046 व 16.8835 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारान के अशुद्ध दर्ज हिस्से निरस्त किये जाकर तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–भू.अ./2023/170 [illegible] 18.01.2023 में दर्ज अनुसार बैंक की देयता का परीक्षण उपरांत दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार [illegible] करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। आदेश आज दिनांक 17.05.2023 को सरे इजलास बमुकाम कैम्प काठाड़ी सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.07.19 10:56:56 IST
Reason: SelfAttested